जेएनएनयूआरएम के यूआईजी कार्यान्श/यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत/कियान्वित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दि0 17.05.2012 को पूर्वान्ह 11.30 बजे सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–

सर्वश्री–

1. श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सुश्री रेखा गुप्ता, निदेशक, स्थानीय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. उमाशंकर सिंह, अनु सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. पी0के0पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी।
5. एन0के0सिंह चौहान, नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
6. एन0पी0सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
7. शैलेन्द्र कुमार सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़।
8. लालजी राय, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
9. फैसल आफताब, नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
10. जे0पी0चौरसिया, नगर आयुक्त, नगर निगम, झॉसी।
11. उमेश प्रताप सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली।
12. श्रीनाथ शुक्ल, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
13. वी0पी0सिंह, निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0जल निगम, लखनऊ।
14. आर0के0गौड़,तकनीकी सलाहकार, सीएण्डडीएस, उ0प्र0जल निगम, लखनऊ।
15. एस0के0जैन, अधिशासी अभियंता, नगर निगम, लखनऊ।
16. टी0एस0अरोरा, परियोजना प्रबन्धक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0जल निगम, गाजियाबाद।
17. सुरेन्द्र वर्मा, विधि अधीक्षक, नगर निगम, गाजियाबाद।
18. रवीन्द्र कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, कन्नौज।
19. अनिल कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा।
20. एम0पी0 सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर।
21. जे0पी0जयन्त, अधिशासी अभियंता, जल, नगर निगम, मुरादाबाद।
22. ए0के0राय, महाप्रबन्धक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0जल निगम, लखनऊ।
23. डी0के0गप्ता, पी.एच.ई. स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
24. पंकज श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर।
25. प्रदीप नारायण, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रायबरेली।
26. वी0पी0सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बलिया।
27. आर0एस0यादव, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फैजाबाद।
28. उदयराज यादव, अवर अभियंता, नगर पालिका परिषद, बस्ती।
29. जमुना सिंह, अवर अभियंता, नगर पालिका परिषद, मैनपुरी।
30. केशव पाल, प्रभारी, सॉलिड वेस्ट, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर।

(कु० रेखा गुप्ता)
निदेशक
नगर विकास उ०प्र०

31. दीपक अग्रवाल, संयुक्त प्रबंध निदेशक, एटूजेड, नई दिल्ली।
32. संजीव कुमार, महाप्रबन्धक, एपीआर प्रोजेक्ट
33. ओम प्रकाश शर्मा, निदेशक, एडब्लूपीसीएल
34. ललित विजय, असिस्टेंट प्रोजेक्ट, एडब्लूपीसीएल
35. डा0 वी0एस0 उपाध्याय, प्रोजेक्ट मैनेजर, गोरखपुर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
36. मेजर नरेन्द्र पाल, बिजनेस हेड, अल्ट्रा अरबन इन्फ्राटेक लि0
37. पी0सी0मेहरोत्रा, निदेशक, ज्योति इन्वायरोटेक, लखनऊ।
38. अभिषेक सिंह, प्रोजेक्ट हेड, ज्योति इन्वायरोटेक, लखनऊ।
39. राजीव कुमार, एपीआर प्रोजेक्ट प्रा0 लि0
40. संदीप कुमार, एपीआर प्रोजेक्ट प्रा0 लि0

बैठक में सर्वप्रथम श्री दीपक अग्रवाल, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, मेसर्स एटूजेड द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के उद्देश्य, प्रबन्धन एवं चुनौतियों के संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण अध्यक्ष की अनुमति से किया गया। अपने संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के कियान्वयन के संबंध में आने वाली समस्याओं के संबंध में निम्नलिखित बिन्दु उठाये गये :–

1. टिपिंग शुल्क का भुगतान पूर्ण व समय से न किया जाना।
2. व्यवसायिक एवं इण्डस्ट्रियल क्षेत्र से यूजर चार्ज का भुगतान नहीं होना।
3. रैग पिकर्स द्वारा एकत्र किये गये कूड़ों को फैला दिया जाना।
4. नगर में सफाई कर्मचारियों झाड़ू लगाने से निकले कूड़े और नाली से लाये गये कूड़े को प्राइमरी कलेक्शन प्वाइन्ट पर डस्टबिन में नहीं डालने के कारण कूड़े का फैल जाना और पुनः गन्दगी हो जाना।
5. रैग पिकर्स को प्लांट में कार्य दिया जा सकता है और उन्हें शहर में रैग पिकिंग के कार्य से हटाकर जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है।
6. यूजर चार्ज का भुगतान न होने के कारण एक माह से (अप्रैल) प्लांट के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा सका है। बैंक से ऋण की सीमा पूर्ण हो जाने के कारण अतिरिक्त ऋण के लिए मना कर दिया गया है। इसके कारण प्लांट बन्द करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

मेसर्स एटूजेड द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरण तथा उठाये गये उपर्युक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित नगर आयुक्तों द्वारा अपने सुझाव तथा अपनी समस्यायें बतायी गयीं :–

नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर–

1. निगम कर्मियों द्वारा लगायी गयी झाड़ू एवं नाली सफाई के उपरान्त निकले कचड़ा/डस्टबिन के पास एकत्र किये जाने वाले कूड़े को डस्टबिन में डालना व्यवहारिक नहीं पाया जा रहा है। अतएव डस्टबिन इस तरह रखा जाय कि उनमें कूड़ा गाड़ी से कूड़ा सीधा पलटा जा सके।

2. रैग पिकर्स की पहचान कर तथा संगठन से वार्ता कर नगर में रैग पिकर्स को प्लांट में समायोजित किया जाय।
3. प्राइमरी कलेक्शन प्वाइन्ट पर कूड़ा एकत्र किये जाने का समय तथा प्राइमरी कलेक्शन प्वाइन्ट से कूड़ा उठाये जाने का समय से उचित अन्तराल रखते हुए प्रत्येक वार्ड और उसके अन्तर्गत बीट की समय सारिणी बना ली जाय। समय–सारिणी का पालन करने हेतु निगम अपने कर्मचारियों को बाध्य करेगा और कूड़े को समय–सारिणी के अनुसार प्राइमरी कलेक्शन तक पहुँचायेगा।
4. नगरवासियों द्वारा प्रतिदिन कूड़ा एकत्र किये जाने, एटूजेड के कर्मचारियों के पहुँचने पर कूड़ा घर से दिया जाना, नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समय से झाड़ू लगाकर सफाई कर प्राइमरी कलेक्शन प्वाइन्ट पर कूड़ा रख दिया जाना तथा नियमित रूप से यूजर चार्ज दिये जाने के लिए एक जन–जागरण अभियान चलाया जाय। इस अभियान में अन्य प्रदेशों–देशों में की जा रही विस्तृत व्यवस्था को सफलता की कहानी की तरह प्रस्तुत किया जाय।
5. औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में उपयुक्त स्थल पर आई.ई.सी. कार्यक्रम/अल्पकालिक बैठकें आयोजित करायी जायें।
6. जन प्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, मोहल्ले के प्रभावशाली व्यक्तियों का इस कार्य में उपयोग किया जाय।
7. इलेक्ट्रानिक/प्रिन्ट मीडिया को आमंत्रित करते हुए उनके एटूजेड द्वारा किये गये कार्यो एवं नगर में बनाये गये स्वच्छता के इतिहास पर परिचय देते हुए नगर में भी उसका अनुकरण करने की अपील की जाय।
8. बायो डिगरेडेबिल मेडिकल वेस्ट/नॉन बायो डिगरेडेबिल मेडिकल वेस्ट के प्रबन्धन की पृथक–पृथक व्यवस्था भी क्षेत्रों में की जाय, जिन क्षेत्रों में अस्पताल, नर्सिंग होम आदि स्थापित हैं।
9. प्रभावशाली नागरिकों को अच्छे कार्यस्थलों का भ्रमण कराया जाय।
10. व्यवसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में विस्तृत सफाई की व्यवस्था निगम की ओर से तथा एकत्र कूड़े को तत्काल हटाने हेतु एटूजेड की और से उदाहरणात्मक व्यवस्था स्थापित की जाये, जिससे औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों से मिलने वाली अधिक धनराशि के यूजर चार्ज के संग्रह से यूजर चार्ज की वसूली में गुणात्मक सुधार पैदा हो।
11. राष्ट्रीय, राज्य स्तर एवं नगर स्तर पर किसी ऐसे सर्वमान्य पर्सनालिटी (ब्रान्ड एम्बेसडर) द्वारा विज्ञापन अपील निकलवायी जाये जैसे कानपुर नगर के लिए श्री राजू श्रीवास्तव से इस संबंध में सम्पर्क किया जायेगा और चंडीगढ़ में रॉक गार्डेन बनाने वाले श्री नेकचन्द का पता लगाकर लाने का प्रयास किया जाये और नगर में उनका शो कराया जाये।
12. यूजर चार्ज की वसूली हेतु हाउस टैक्स व जल कर की तरह किये जाने एवं न जमा किये जाने पर वसूली हेतु दण्डात्मक कार्यवाही की व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया, जिससे नागरिकों में यह धारणा पैदा हो कि उपरोक्त एटूजेड द्वारा की जा रही व्यवस्था को अंगीकार कर निर्धारित यूजर चार्ज दिया जाना उनकी बाध्यता है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद–

प्रारम्भ में नगर निगम, मुरादाबाद में एटूजेड द्वारा यूजर चार्ज के कलेक्शन का कार्य ठीक चल रहा था, किन्तु विगत कुछ महीनों से कलेक्शन का कार्य ठीक नहीं चल रहा है। एटूजेड के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि कलेक्शन के कार्य में कुछ कठिनाइयां कर्मचारियों को लेकर थी, जिसे अब ठीक कर लिया गया है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, झॉसी–

झॉसी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत कम्पोस्टिंग का प्लांट अभी चालू नहीं हुआ है। प्लांट को चालू करने का लक्ष्य माह सितम्बर, 2012 रखा गया है। परियोजना की कार्यदायी इकाई सीएण्डडीएस द्वारा परियोजना हेतु चयनित आपरेटर एपीआर को अभी तक पूर्ण पैसा नहीं दिया गया है।

नगर आयुक्त नगर निगम, बरेली–

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति के अभाव में कम्पोस्टिंग का प्लांट अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ–

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत कम्पोस्टिंग प्लांट, लैण्डफिल साइट इत्यादि के लिए भूमि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण परियोजना का कार्य दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण होगा। रैग पिकर्स के लिए वर्कशाप आयोजित किये जाने का सुझाव दिया गया।

नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा–

61 वार्डो में डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य चल रहा है। परियोजना के अन्तर्गत प्लांट में बिजली आपूर्ति हेतु ग्रामीण फीडर के बजाय शहरी फीडर्समेन से जोड़े जाने का सुझाव दिया गया। हेन्जर बायोटेक के प्रतिनिधि द्वारा यह अवगत कराया गया कि सॉलिड वेस्ट में बायो मेडिकल वेस्ट को मिक्स कर दिया जा रहा है। यह ठीक नहीं है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी–

परियोजना के अन्तर्गत 90 वार्डो में डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य चल रहा है। मई 2012 तक प्लांट को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। माह जून में गारबेज के प्रीशार्टिंग तथा माह जुलाई से प्लांट अपनी पूरी क्षमता से कार्य प्रारम्भ कर देगा।

निदेशक, सीएण्डडीएस, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ–

परियोजना के अन्तर्गत गोरखपुर में नगर निगम, गोरखपुर द्वारा लो–लैण्ड उपलब्ध कराये जाने के कारण परियोजना की प्रगति धीमी है। लोनी, फिरोजाबाद तथा बस्ती में भूमि उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारियों से लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है।

निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ–

निदेशक महोदया द्वारा निदेशक, सीएण्डडीएस से यह अपेक्षा की गयी कि बलिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में खरीदी गयी टीएनपी के संबंध में की गयी शिकायत के संबंध में जॉच रिपोर्ट अभी तक

उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिसके कारण उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को नहीं भेजा जा पा रहा है।

प्रमुख सचिव द्वारा दिये गये निर्देश :–

1. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के कियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में जो समस्यायें/चुनौतियां मेसर्स ए टू जेड द्वारा इंगित की गयी है, वो वस्तुतः स्थानीय स्तर की समस्यायें है, जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर नगर आयुक्त द्वारा किया जाय। इस संबंध में आवश्यक हो तो जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त के स्तर पर भी बैठक करायी जाय। शासन को वही सन्दर्भ प्रेषित किये जाय, जो वस्तुतः शासन से संबंधित है।
2. मेसर्स ए टू जेड द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना के कियान्वयन के संबंध में परियोजना के आर्थिक विश्लेषण तथा उसके सामाजिक पहलू, जिसके अन्तर्गत परियोजना के कियान्वयन के पूर्व की स्थिति तथा परिवर्तित परिदृश्य, पूर्व में निगम द्वारा किये जा रहे व्यय, संसाधन पर किये जा रहे व्यय, प्राइवेट ऑपरेटर के संचालन से हो रही बचत तथा इसमें लगे हुए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष श्रम/श्रमिकों की स्थिति आदि को समाहित करते हुए एक प्रस्तुतीकरण एक सप्ताह के अन्दर तैयार कर लिया जाय। इस प्रस्तुतीकरण में लाभान्वित होने वाले शहरी नागरिक, कर्मकारों की वार्ता, कार्य तथा निवास के वातावरण की स्थिति, शहरों की सफाई पूर्व एवं पश्चात् की स्थिति तथा इससे पर्यावरण सुधार की दशा में कितनी प्रगति हुई, की संक्षिप्त फिल्म भी सम्मिलित की जाय। प्रस्तुतीकरण ऐसी हो कि जो सीधे जन साधारण के हृदय में उतर जाय तथा लोग इसके प्रति जागरूक हो जाय।
3. मेसर्स ए टू जेड द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में शासन स्तर से अपेक्षित जिन कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है, उन विषयों को अलग–अलग पत्र के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किया जाय ताकि शासन स्तर पर विचार कर इस संबंध में यथोचित निर्णय लिया जा सके।
4. नगर आयुक्तों/अधिशासी अधिकारियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि कूड़े के साथ बॉयो मेडिकल वेस्ट को न सम्मिलित किया जाय। यह अत्यन्त ही गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है। नगरीय सीमा में स्थित अस्पतालों, नर्सिंग होम को बॉयो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु इन्सीनरेटर लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय। इन्सीनरेटर न लगाये जाने की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–1570/नौ–5–2012–133सा/2012
लखनऊ:: दिनांक 31 मई, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 (सहारनपुर को छोड़कर)।
3. निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मिर्जापुर, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, सम्भल, इटावा, रायबरेली, बदॉयू, फतेहपुर, बलिया, मैनपुरी, बाराबंकी, मथुरा, कन्नौज, फैजाबाद, लोनी, बस्ती एवं पिलखुवा।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एटूजेड/ए.पी.आर. प्रोजेक्ट/मेसर्स ए.डब्ल्यू.पी.सी.एल.
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

निदेशक / एस0एल0एन0ए0
स्थानीय निकाय निदेशालय ,
उ0प्र0 8वॉ तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी
यूआईजी एवं यूआईडीएसएसएमटी आच्छादित नगर पालिका परिषद
उत्तर प्रदेश।

संख्या–पीएमयू/840/276(3)/2012 लखनऊ दिनांक 14 जून, 2012

विषयः– मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, की अध्यक्षता में दिनांक 24–05–2012, को सम्पन्न विभागीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय / महोदया,

मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, की अध्यक्षता में दिनांक 24–05–2012, को सम्पन्न विभागीय समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करते हुए इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि, उपरोक्त वर्णित विभागीय समीक्षा बैठक में शासन स्तर से दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही कराने के साथ–साथ अद्यतन प्रगति की सूचना अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सन्दर्भित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त ई–मेल / डाक द्वारा भेजे जाने के साथ–साथ यह भी अवगत कराना है कि उक्त कार्यवृत्त की प्रति स्थानीय निकाय निदेशालय की वेबसाइट / वेब लिंक http://localbodies.up.nic.in/jnnurm.htm पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीया,
14/6/12
(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक

प्रतिलिपि / सूचनार्थ

विशेष सचिव, नगर विकास अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(कु0 रेखा गुप्ता)
निदेशक

धारी
13/06/12

मा0, मंत्रीजी, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनॉक 24.05.2012 को सम्पन्न विभागीय समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः–

बैठक में प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग एवं निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 सहित समस्त नगर निगमों के नगर आयुक्त, जल संस्थानों के महाप्रबन्धक तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत यूआईजी एवं यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श की परियोजनाओं से संबंधित अभियन्ता गण एवं अधिशासी अधिकारी गण तथा पीएमयू के अधिकारी गण उपस्थित हुए।

बैठक में सर्वप्रथम विभिन्न निर्धारित प्रपत्रों पर निम्नानुसार समीक्षा की गयीः–

- **सफाई व्यवस्था**

सफाई व्यवस्था की समीक्षा में उपलब्ध कराये गये आंकड़ों को देखने से यह पाया गया कि सभी नगर निगमों एवं निकायों में सफाई व्यवस्था में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। निर्देश दिये गये कि ग्रीष्म काल को देखते हुए नियमित सफाई सुनिश्चित करायी जाय, जिससे कूड़ा एवं गंदगी से आम लोगों को राहत मिल सके। सचेत किया गया कि औचक निरीक्षण के समय सफाई कार्यों में पायी गयी शिथिलता के लिए संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाई की जाएगी।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

- **सफाई व्यवस्था के उपकरण**

समीक्षा में पाया गया कि नगर निगम–मेरठ द्वारा 22 उपकरण के सापेक्ष 17 उपकरण, नगर निगम–मुरादाबाद द्वारा 11 उपकरणों के सापेक्ष 2 उपकरण, नगर निगम–इलाहाबाद द्वारा 42 के सापेक्ष 12, नगर निगम–गोरखपुर द्वारा 40 के सापेक्ष 34, नगर निगम–आगरा द्वारा 55 के सापेक्ष 46, नगर निगम–बरेली द्वारा 36 के सापेक्ष 21, नगर निगम–कानपुर द्वारा 157 के सापेक्ष 108, नगर निगम–लखनऊ द्वारा 79 उपकरणों के सापेक्ष केवल 43, नगर निगम–झांसी द्वारा 03 के सापेक्ष 01, नगर निगम–सहारनपुर द्वारा 16 के सापेक्ष 05 की ही मरम्मत करायी गयी, जबकि नगर निगम–वाराणसी, अलीगढ़ एवं गाजियाबाद द्वारा शत–प्रतिशत उपकरणों को ठीक करा लिया गया है। इस संबंध में नगर पालिका परिषदों की स्थिति खराब रही। निर्देश दिये गये कि उपकरणों का समुचित रख–रखाव किया जाय तथा शत–प्रतिशत संयंत्रों को कार्यशील रखने का प्रयास किया जाय। आगामी माह तक इन उपकरणों को ठीक न कराये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाई की जायेगी।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदें)

- **फागिंग**

समीक्षा में पाया गया कि समस्त नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों में नियमित रूप से फागिंग नहीं करायी जा रही है जिससे अनेक क्षेत्र फागिंग से वंचित रहते हैं। मेरठ, आगरा एवं इलाहाबाद में समस्त क्षेत्रों में फांगिग से आच्छादित नहीं पाये गये। निर्देश दिये गये कि नियमित रूप से रोस्टर निर्धारित करते हुए सभी क्षेत्रों को फागिंग की परिधि में लाया जाय एवं तालाबों अथवा पार्कों के समीपवर्ती रिहायशी क्षेत्रों में इसका विशेष ध्यान रखा जाय।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदें)

- सीवर लाईन सफाई

समीक्षा में पाया गया कि नगर निगमों सहित नगर पालिका परिषदों में सीवर लाईन सफाई का कार्य अभी अधूरा है। नगर निगम, आगरा, बरेली एवं सहारनपुर में क्रमशः अभी 34, 40, 99 कि0मी0 तथा नगर पालिका परिषद, वृन्दावन, रायबरेली, फिरोजाबाद में क्रमशः 9.00, 41.50, तथा 6.00 कि0मी0 सीवर सफाई योग्य अवशेष पायी गयी। निर्देश दिये गये कि वर्षाऋतु के पूर्व अथवा जून प्रथम सप्ताह तक शतप्रतिशत सीवर सफाई पूर्ण करा ली जाय जिससे जलभराव आदि की समस्या उत्पन्न न हो।

(**कार्यवाही**: समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

- नाला सफाई

समीक्षा में पाया गया कि नगर निगम, वाराणसी द्वारा 133 नालों के सापेक्ष कोई भी नाला साफ नहीं कराया गया। नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा 177 के सापेक्ष 78 साफ कराये गये। नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा 342 के सापेक्ष 08, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा 190 के सापेक्ष 30, नगर निगम, आगरा द्वारा 274 के सापेक्ष 43, नगर निगम, बरेली द्वारा 101 के सापेक्ष 06, नगर निगम, कानपुर द्वारा 805 के सापेक्ष 23, नगर निगम, लखनऊ द्वारा 689 के सापेक्ष 115, नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा 106 के सापेक्ष 33, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा 39 के सापेक्ष 07, नगर निगम, झांसी द्वारा 63 के सापेक्ष शून्य, नगर निगम, सहारनपुर द्वारा 193 के सापेक्ष 36 नाले साफ कराये गये। नगर पालिका परिषदों में नालों की सफाई का कार्य पूर्ण नहीं है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ द्वारा कार्य योजना बनाकर एवं वाराणसी द्वारा 171 नालों की सफाई 15 जून से पूर्व कराये जाने तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मैनपुरी, मऊ एवं शाहजहाँपुर द्वारा 15 जून तक कराये जाने का आश्वासन दिया गया। सभी निकायों को निर्देश दिये गये कि नालों की सफाई प्रत्येक दशा में 15 जून से पूर्व शतप्रतिशत सुनिश्चित करा ली जाय, अन्यथा स्थिति पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाई की जाएगी।

निदेशक द्वारा बैठक में कहा गया कि बैठक हेतु लोड की गयी कतिपय सूचनायें बिना देखे गलत फीड होने से समीक्षा के समय असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है। निर्देश दिये गये कि भविष्य में समीक्षा हेतु लोड की जाने वाली सूचनाओं की पुष्टि संबंधित अधिकारी अवश्य कर लें और समय रहते आवश्यक सुधार करवाकर ही सूचना लोड करायी जाये ।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

- कूड़ा निस्तारण

समीक्षा में पाया गया कि नगर निगम, मुरादाबाद में 320 मी0टन के सापेक्ष 315 मी0टन, नगर निगम–गोरखपुर में 568.50 मी0टन के सापेक्ष 567.00 मी0टन, नगर निगम–आगरा में 530 मी0टन के सापेक्ष 520 मी0टन, नगर निगम–गाजियाबाद में 800 मी0टन के सापेक्ष 750मी.टन कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। शेष नगर निगम द्वारा दिन–प्रतिदिन के आधार पर शतप्रतिशत कूड़ा उठाने की सूचना दी गयी है। नगर पालिका परिषदों में दिन–प्रतिदिन के आधार पर शतप्रतिशत कूड़े का उठान नहीं किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित, संस्था सहित सफाई कर्मियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाई किये जाने के निर्देश दिये गये । अपेक्षा की गयी कि प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निस्तारण किया जाय। निर्देश दिये गये कि सभी स्थलों से कूड़ा नियमित

रूप से उठाया जाय। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जागरूक रहकर इस दिशा में सतर्क रहना होगा। अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाई की जाएगी।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

- **पेयजल व्यवस्था**

समीक्षा में पाया गया कि नगर निगम–मेरठ में 2, मुरादाबाद में 1, गोरखपुर में 1, बरेली में 2, गाजियाबाद में 3, जल संस्थान, इलाहाबाद में 2, कानपुर में 10, लखनऊ में 03 नलकूप खराब पाये गये। जबकि नगर पालिका परिषद–रायबरेली, वृन्दावन में क्रमशः 9 एवं 2 नलकूप खराब पाये जाने के साथ–साथ अन्य नगर पालिका परिषदों में काफी संख्या में नलकूल/इण्डिया मार्का हैण्डपम्प खराब पाये गये। निर्देश दिये गये कि खराब नलकूपों/हैण्डपम्पों को यथा संभव इसी सप्ताह ठीक कराकर चालू करा दिया जाय, अन्यथा संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कानपुर में 5 ट्यूबवेल की और आवश्यकता बताए जाने पर प्रमुख सचिव द्वारा ग्रीष्मऋतु को देखते हुए आ रही बाधाओं को यथासंभव दूर करते हुए 13वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग अथवा पालिका फण्ड से रिबोर कराकर स्वच्छ पेयजल आपूर्ति किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

- **अवस्थापना विकास निधि**

समीक्षा में पाया गया कि नगर निगम–मेरठ द्वारा उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष 74.48 प्रतिशत, नगर निगम–मुरादाबाद द्वारा 71.30 प्रतिशत, गोरखपुर द्वारा 20.40 प्रतिशत, आगरा द्वारा 2.58 प्रतिशत, बरेली द्वारा 48.74 प्रतिशत, गाजियाबाद द्वारा 56.75 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी। जबकि नगर निगम–वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, झांसी एवं सहारनपुर द्वारा इस मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अभी तक व्यय नहीं की गयी है, जो अत्यंत चिन्ताजनक है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद–बिजनौर, लोनी एवं हापुड़ में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति शून्य पाये पर निर्देश दिये गये कि प्राप्त धनराशि का तत्काल उपयोग करते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

- **प्रतिबन्धित प्लास्टिक संबंधी कार्यवाही**

समीक्षा में नगर निगम–वाराणसी द्वारा 02 कि0ग्रा0, मुरादाबाद द्वारा 85 कि0ग्रा0, गोरखपुर द्वारा 5318 कि0ग्रा0, आगरा द्वारा 4 किग्रा0, बरेली द्वारा 70 कि0ग्रा0, अलीगढ़ द्वारा 16.20 कि0ग्रा0, गाजियाबाद द्वारा 271 कि0ग्रा0, झांसी द्वारा 09 कि0ग्रा0, सहारनपुर द्वारा 10 कि0ग्रा0 सीजर किया गया। जबकि नगर निगम–मुरादाबाद द्वारा ₹ 1100.00 इलाहाबाद द्वारा ₹ 2200.00 गोरखपुर द्वारा ₹ 5.98 लाख, बरेली द्वारा ₹ 6550.00 पेनाल्टी लगाया जाना पाया गया जबकि नगर निगम–कानपुर द्वारा बताया गया कि वार्डवार टीम बनाकर सीजर हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा नगर निगम–लखनऊ द्वारा बताया गया कि 03 प्लास्टिक इकाइयों व 2 ट्रांसपोर्ट गोदामों पर छापा मारकर प्रतिबन्धित पॉलीथीन जब्त की गयी। गाजियाबाद द्वारा 04 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना बताया गया। नगर पालिका परिषदों द्वारा इस दिशा में कोई

कारगर कार्यवाही नहीं की गयी है जिस हेतु अधिकारियों को अगले माह तक विशेष अभियान चलाकर इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

- **सार्वजनिक भूमियों पर अतिक्रमण**

समीक्षा में सार्वजनिक मार्गों एवं भूमियों पर अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में विभिन्न नगर निगमों द्वारा की गयी कार्यवाही निम्नानुसार पायी गयी :-

नगर निगम	चिन्हित अतिक्रमण की संख्या		हटाये गये अतिक्रमण की संख्या	
	अस्थाई	स्थाई	अस्थाई	स्थाई
मेरठ	150	20	135	14
वाराणसी	135	21	135	17
मुरादाबाद	450	260	407	100
इलाहाबाद	1272	131	1090	18
गोरखपुर	740	5	721	5
आगरा	85	144	85	26
बरेली	13048	2985	13048	2985
कानपुर	132	0	132	0
लखनऊ	425	09	425	9
अलीगढ़	405	95	405	54
गाजियाबाद	454	220	95	5
झांसी	25	0	25	0
सहारनपुर	0	0	0	0

नगर पालिका परिषद-उन्नाव एवं बिजनौर द्वारा क्रमशः 3,258, 1,500 के सापेक्ष केवल 258 एव 490 अतिक्रमण ही हटाये गये। प्रमुख सचिव द्वारा जिन निकायों ने अतिक्रमण हटाने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है उन्हें सचेत किया गया अतिक्रमणों को पुनः होने देने एवं अतिक्रमणों पर द्रुतगति से कार्यवाही करके उन्हें हटाये जाने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिये गये।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

- **मार्ग प्रकाश**

मार्ग प्रकाश की समीक्षा में पाया गया कि माह अप्रैल तक खराब प्रकाश बिन्दुओं में नगर निगम-मेरठ द्वारा 2189 के सापेक्ष 2147, वाराणसी द्वारा 5053 के सापेक्ष 4152, मुरादाबाद द्वारा शत-प्रतिशत, इलाहाबाद द्वारा 930 के सापेक्ष 710, गोरखपुर द्वारा 2702 के सापेक्ष 2575, आगरा द्वारा 2640 के सापेक्ष 2605, बरेली द्वारा 7133 के सापेक्ष 6953, कानपुर द्वारा 1170 के सापेक्ष 915, लखनऊ द्वारा 48473 के सापेक्ष 18965, अलीगढ़ द्वारा 3090 के सापेक्ष 3067, गाजियबाद द्वारा 2540 के सापेक्ष 2480, झांसी 2510 के सापेक्ष 2304, सहारनपुर द्वारा 1385 के सापेक्ष 1305 प्रकाश बिन्दु ठीक कराये गये। नगर पालिका परिषद-फिरोजाबाद एवं सम्भल द्वारा क्रमशः 4160 एवं 143

के सापेक्ष केवल 250 एवं 44 प्रकाश बिन्दु ठीक कराये गये। अन्य निकायों की स्थिति ठीक नहीं पायी गई। इस संबंध में सभी निकायों को निर्देश दिये गये कि प्रकाश बिन्दुओं को यथा संभव ठीक रखा जाय।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

- **जलमूल्य से निकाय को होने वाली आय/कराच्छादन की प्रगति**

समीक्षा में पाया गया कि नगर निगमों/जल संस्थानों में भवनों की संख्या के सापेक्ष जल संयोजनों की संख्या का प्रतिशत बहुत ही कम है जिसमें नगर निगम, मेरठ 46.12 प्रतिशत, मुरादाबाद 54.63 प्रतिशत, गोरखपुर 36.11 प्रतिशत, बरेली 69.23 प्रतिशत, अलीगढ़ 54.98 प्रतिशत, गाजियाबाद 74.57 प्रतिशत, सहारनपुर 46.56 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार जल संस्थान, वाराणसी द्वारा 88.05 प्रतिशत, झांसी द्वारा 56.57 प्रतिशत, चित्रकूट द्वारा 73.61, इलाहाबाद द्वारा 83.48 प्रतिशत, कानपुर द्वारा 86.98 प्रतिशत, लखनऊ द्वारा 87.98, आगरा द्वारा 89.39 प्रतिशत रहा। इस प्रकार कुल भवनों के सापेक्ष जल संयोजनों की संख्या शतप्रतिशत नहीं है जिसके कारण जलमूल्य से होने वाली आय कम है। जल संयोजनों की संख्या बढ़ाकर आय को बढ़ाए जाने के निर्देश दिये गयें।

नगर पालिका परिषदों में भी भवनों के सापेक्ष जल संयोजनों की संख्या काफी कम है। लोनी एवं उन्नाव में इसका प्रतिशत क्रमशः 7.44 एवं 25.39 प्रतिशत बहुत ही नगण्य है। सभी निकायों को अभियान चलाकर अवैध जल संयोजनों अथवा नये क्षेत्रों में जल संयोजनों की संख्या बढ़ाकर शतप्रतिशत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी समीक्षा आगामी बैठकों में की जायेगी।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा जल संस्थान के ₹ 541 करोड़ विद्युत बकाया के संबंध में समीक्षा में यह बात उभरकर आयी कि जल संस्थान आंशिक विद्युत बकाया भुगतान कर रहे हैं। जल संस्थानों में होने वाली आय केवल वेतन पर ही खर्च हो जाती है। आय में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि अभियान चलाकर अवैध कनेक्शन नियमित किये जाएं तथा लीकेज न होने दिया जाय एंव जलमूल्य की दरें पुनरीक्षित करके बढ़ायी जाय।

इसी प्रकार नगर निगम में स्ट्रीट लाईट के बिल भी सही न आने की बात सामने आयी, क्योंकि सी0एफ0एल0/ट्यूबलाईट/सोडियम लाईट की दरें अलग-अलग न होकर प्रतिमाह समान राशि के बिल आने से बिल के सही होने पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। अपेक्षा की गयी कि इस्तेमाल किये गये प्रकाश बिन्दुओं एवं खर्च हुई विद्युत का वास्तविक मूल्यांकन करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/समस्त महाप्रबंधक, जल संस्थान/समस्त अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

- **राज्य वित्त आयोग से विकास कार्य**

समीक्षा में पाया गया कि नगर निगम, मेरठ द्वारा 2.65, मुरादाबाद द्वारा 3.37, गाजियाबाद द्वारा 0.37 प्रतिशत ही धनराशि का व्यय किया गया है जो कि बहुत ही न्यून है। नगर निगम, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, झांसी एवं सहारनपुर द्वारा इस मद में कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषदों में भी

विकास कार्यों पर व्यय की स्थिति नगण्य होने के कारण निर्देशित किया गया कि विकास कार्यों में प्रभावी कार्यवाही कर प्रगति लाई जाय।

तेरहवें वित्त आयोग की उपयोगिता अवधि मार्च 12 तक निर्धारित थी, जिसके उपयोग की अवधि बढ़ाये जाने की मांग की गयी, जिस हेतु शासन से अनुरोध किया गया है। निर्देश दिये गये कि भविष्य में इस मद का उपयोग समयान्तर्गत अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

- **लोक शिकायत**

लोक शिकायतों के लम्बित प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया कि नगर निगम, मेरठ के 6, वाराणसी के 116, मुरादाबाद के 6, इलाहाबाद के 5, गोरखपुर के 11, आगरा के 8, बरेली के 76, कानपुर के 01, लखनऊ के 20, अलीगढ़ के 4, गाजियाबाद के 10 लोक शिकायतों के प्रकरण अभी भी लम्बित हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लोक शिकायत के सभी प्रकरणों का निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारण सुनिश्चित करायें।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

- **सम्पत्ति कर**

समीक्षा में पाया गया कि इस मद में नगर निगम, मेरठ की वसूली 84.96, वाराणसी 1.44, मुरादाबाद 5.02, इलाहाबाद 2.83, गोरखपुर 2.69, आगरा 4.97, बरेली 5.42, कानपुर 8.25, लखनऊ 0.37, अलीगढ़ 2.74, गाजियाबाद 4.38, झाँसी 6.52, सहारनपुर 1.24 प्रतिशत रही। इस प्रकार अधिकांश नगर निगमों की वसूली खराब रही।

नगर पालिका परिषदों में अधिकतम वसूली लहरहपुर की 13.87 प्रतिशत रही। शेष नगर पालिका परिषदों की वसूली भी इससे कम रही। सम्पत्ति कर की समीक्षा में निदेशक, स्थानीय निकाय,उ0प्र0 द्वारा सभी नगर निगमों की सम्पत्ति कर की मांग में और अधिक वृद्धि की सम्भावना बताते हुए निर्देश दिये गये कि समस्त नगर निगम एवं नगर पालिका परिषदें मांग में वृद्धि करते हुए शत–प्रतिशत वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

- **कर एवं करेत्तर देयों की वसूली**

समीक्षा में पाया गया कि उक्त मद की वसूली में नगर निगम, मेरठ की वसूली 29.6, वाराणसी 17.02, मुरादाबाद 92.85, गोरखपुर 63.01, आगरा 36.20, बरेली 45.29, इलाहाबद 48.68, लखनऊ 62.48, अलीगढ़ 14.16, कानपुर 37.93, गाजियाबाद 24.52, सहारनपुर 14.70, झाँसी 181.74 प्रतिशत रही। इस प्रकार अधिकांश निगमों की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष बहुत ही कम रही। नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर की 4.45 तथा गाजीपुर की 1.51 प्रतिशत वसूली सबसे कम पाई गयी जबकि शेष निकायों द्वारा भी लक्ष्य से बहुत कम वसूली की गयी है। संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिये गये। आगामी माह में समीक्षा में वसूली पर ध्यान न देने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाई की जाएगी।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम/अधि0अधि0,नगर पलिका परिषदे)

6

प्रमुख सचिव द्वारा उपस्थित निकाय अधिकारियों को अलग–अलग माहों में किये जाने वाले कार्यो को चिन्हित करते हुए उनके निस्तारण की दिशा में वार्षिक कलेण्डर बनाये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया जिसमें वर्ष भर में आने वाली समस्याओं यथा बारिश से पूर्व अप्रैल से मई–जून तक नाले नालियों की सफाई तथा वर्षा ऋतु में जल भराव की समस्या से निजात पाने के लिए पूर्व ही सम्भावित उपकरणों की व्यवस्था एवं इसी प्रकार वर्ष में पड़ने वाले त्यौहार आदि के संबंध में आवश्यक प्रबंध के साथ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी नामित करते हुए उनके दायित्व एवं लक्ष्य पूर्व से ही निर्धारित किये जाने चाहिये जिससे निर्धारित कलैण्डर के अनुसार प्रत्येक माह आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए संबंधित अधिकारी जागरूक रहे। इसी प्रकार आकस्मिक समस्याओं के द्रुतगति से निस्तारण की व्यवस्था के लिए एक सेल रहना चाहिये जिसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि छोटी–छोटी खराबी अथवा कमी को तात्कालिक प्रभाव से दूर करा लिया जाये अन्यथा उसके अभाव में आवश्यक कार्य बाधित न होने पाये ।

प्रमुख सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त वित्तीय संसाधनों से जो परियोजनायें कियान्वित हो, उनको निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण किए जाने हेतु कड़ी शर्ते होनी चाहिये तथा शर्तो का पालन न करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध दण्ड/आर्थिक दण्ड का भी प्राविधान शर्तो में पूर्व से ही जोड़ दिया जाना चाहिये। कई बार देखा गया है कि कुछ परियोजनायें अधिकारियों/ठेकेदारों की शिथिलता अथवा लापरवाही के कारण समय पर पूर्ण न हो पाने से उनकी लागत बढ़ जाती है। अतः शिथिल नियंत्रण अथवा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/ठेकेदार के विरूद्ध कठोर कार्यवाही एवं बढ़ी हुई लागत की उनसे रिकवरी किये जाने के निर्देश दिये गये। समय से परियोजनाओं को पूर्ण करने वाले अधिकारियों को एवार्ड एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को दण्डित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

प्रमुख सचिव द्वारा वाराणसी में सीवर लाईन के पास पेयजल पाइप लाईन डाले जाने की शिकायत पर सीवर लाईन/पेयजल पाइप लाईन के मध्य प्रावधान के अनुसार निर्धारित की गयी दूरी पर ही पाइप लाईन डालने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि बहुत संकरी गली में, जहां पाइप लाईन डालना आवश्यक हो उसके संबंध में जल निगम के अधिकारी एवं नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी मौके की स्थिति का जायजा लेकर आपसी लिखित सहमति के आधार पर ही पाइप लाईन डलवायें और यथासंभव निर्धारित दूरी को मेन्टेन रखने का प्रयास किया जाय। अन्यथा स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

प्रमुख सचिव द्वारा सचेत किया गया कि शासन स्तर पर गठित की जाने वाली टी0ए0सी0 के भी द्वारा निर्माण कार्यों का रेण्डम निरीक्षण किया जाएगा और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल निलम्बित कर कठोर कार्यवाई की जाएगी। अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गयी कि वे अब भी चेत जाएं और जो कार्य चल रहे हैं उसका सुपरवीजन कर शिथिल नियंत्रण करने वाले कर्मियों/ठेकेदार के विरूद्ध कड़ी कार्यवाई की जाय। प्रमुख सचिव द्वारा मुख्यतः संलिप्तता/शिथिल नियंत्रण दोनों ही दशा में अधिकारी की भूमिका को संदिग्ध मानकर कार्यवाई किये जाने की बात दोहराई गयी। यह भी कहा कि जहां गड़बड़ियां हैं वहां स्थिति में सुधार कर परिणाम देना ही पड़ेगा। आशा व्यक्त की गयी अब कोई नयी शिकायत नहीं आनी चाहिए। यह भी जानकारी दी गयी कि मण्डलायुक्त भी कार्यों की समीक्षा करेंगे।

प्रमुख सचिव ने मा0 मंत्रीजी द्वारा अपेक्षित प्राथमिकताओं का अनुश्रवण कराते हुए निर्देशित किया गया कि डिवाईडरों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने दिया जाए तथा वहाँ लगे होर्डिंग हटवाये जायं तथा डिवाईडरों के मध्य अथवा आस–पास रिक्त पड़ी भूमि पर दूब–घास, फूल पौधे एवं गमले लगाये जायं जिससे शहर और खूबसूरत दिखे। इसके साथ ही प्रमुख सचिव द्वारा शहर में हुए अतिक्रमण को बिना भेदभाव बरते उसे हटाने के निर्देश दिये गये। साथ ही नवीन अतिक्रमण न होने पाये इसके लिए नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाई अमल में लायी जाए।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 / अधि0अधि0न0पा0प)

प्रमुख सचिव द्वारा कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन भुगतान में निकायों की आर्थिक स्थिति लचर न हो इसके लिए निकाय के आय के श्रोतों को बढ़ाने पर बल दिया गया। इस हेतु गृहकर की दरों का पुनरीक्षण कर बढ़ाये जाने तथा नये शामिल क्षेत्रों को मिलाकर 30 से 40 प्रतिशत क्षेत्र अभी कराच्छादन से वंचित रह जाने की बात कही गयी तथा कराच्छादन न किया जाना को गम्भीर वित्तीय अनियमितता बताया गया। उपस्थित अधिकारियों से सभी वार्डों में छूटे भवनों को कराच्छादन के अंतर्गत लाये जाने हेतु कर्मचारियों को नामित करते हुए अभियान चलाया जाए जिसमें सभी छूटे भवनों का 15 जुलाई 2012 तक कराच्छादन कर लिया जाए। लगाये गये कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए इसकी सूचना / सूची समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करा दी जाए। निर्धारित अवधि के बाद कराच्छादन से छूटे भवनों की वसूली संबंधित कर्मचारियों से की जाएगी।

तदुपरांत एन0आई0सी0 की अधिकारी श्रीमती संगीता मनीष द्वारा ई–गवर्नेंस के तहत तैयार किये जा रहे सॉफ्टवेयर की जानकारी दी गयी जिस पर प्रमुख सचिव द्वारा सभी नगर आयुक्तों को सहयोग प्राप्त कर इसे तुरन्त मूर्तरूप दिये जाने के निर्देश दिये गये ।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 / अधि0अधि0न0पा0प)

- **जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम की परियोजनाओं की समीक्षा –**

सर्वप्रथम सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को प्रेषित पत्र, जिसमें जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत यूआईजी कार्यांश एवं यूआईडीएसएसएमटी कार्यांश की क्रमशः 17 परियोजनायें एवं 55 परियोजनाओं की पूर्ण धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात् भी मात्र एक व 7 परियोजनाओं को पूर्ण किया जाना सूचित किया गया है तथा अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने हेतु कार्यक्रम तैयार कराकर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है, से अवगत कराया गया। तत्पश्चात् यूआईजी एवं यूआईडीएसएसएमटी कार्यक्रम की स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया गया।

- यूआईजी कार्यांश के अन्तर्गत 33 परियोजनाओं स्वीकृत हैं जिनमें से एक परियोजनाओं पूर्ण की जा चुकी है तथा एक अन्य परियोजनाओं भौतिक रूप से पूर्ण है लेकिन केन्द्रांश की 10 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त न होने के कारण कम्पलीशन प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

- उक्त सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति तथा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार उन्हें पूर्ण किये जाने के कार्यक्रम से अवगत कराया गया। निर्देश दिये गये कि जल निगम के सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता नगर आयुक्तों की सहमति से परियोजनाओं में

प्रस्तावित विभिन्न कार्यों को पूर्ण किये जाने का एक्शन प्लान तैयार कराकर दिनांक 30.05.2012 तक निदेशालय में संयुक्त हस्ताक्षर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें, जिसे निदेशालय द्वारा संकलित कराकर 31.05.2012 को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

- विगत सप्ताह पी0एम0यू0 की टीम द्वारा वाराणसी नगर निगम के कार्यों का निरीक्षण किया गया था। अवगत कराया गया कि वाराणसी पेयजल परियोजना द्वितीय सिस वरूणा के अन्तर्गत पाइप लाइन डाले जाने का कार्य प्रगति पर था। एक स्थान पर पूर्व में पड़ी सीवर लाइन के ऊपर पी0वी0सी0 की पाइप लाइन डाली जा रही थी तथा उक्त पाइप लाइन का कवर ग्राउण्ड लेवल से लगभग 70 सेमी0 ही था। निर्देश दिये गये कि सीवर लाइन के ऊपर 3 सेमी0 मोटी पी0सी0सी0 की परत डालकर उसके ऊपर पी0वी0सी0 पाइप के स्थान पर डी0आई0 पाइप डाला जाय तथा पी0सी0सी0 में आवश्यकतानुसार सीलिंग कम्पाउण्ड भी मिक्स किया जाय। कार्यस्थल पर कुछ अन्य स्थानों पर भी पूर्व में पड़ी सीवर लाइनों के ऊपर पी0वी0सी0 पाइप/एसी पाइप डाले जाने की कार्यवाही प्रगति पर पाई गई। सभी स्थलों पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि यदि किसी भी कार्यस्थल पर निर्धारित मानकों का किसी कारणवश अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं हो तो उक्त स्थिति से सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को अवगत कराया जाय तथा इस प्रकार के विचलन के लिए सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की लिखित सहमति भी आवश्यक होगी। उक्त सहमति के साथ सुरक्षा के समुचित उपाय भी सुनिश्चित किये जायेगें।

- यूआईडीएसएसएमटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 64 परियोजनायें स्वीकृत हैं जिनमें से रामपुर रोड़ एवं फ्लाईओवर परियोजना के स्थान पर एसएलएससी द्वारा बरेली पेयजल पुनर्गठन परियोजना तथा फैज़ाबाद एवं अयोध्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना को लिये जाने के निर्णय से अवगत कराया गया। यह भी अवगत कराया गया कि बरेली पुनर्गठन पेयजल परियोजना का भारत सरकार में तकनीकी परीक्षण हो चुका है तथा इसकी स्वीकृति शीघ्र प्राप्त होने की सम्भावना है।

- अवशेष 63 योजनाओं में से 56 परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं जिनके समक्ष 55 परियोजनाओं की द्वितीय किश्त की धनराशि भी प्राप्त हो चुकी है। तथा इन परियोजनाओं में से 15 परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं। अवशेष 40 परियोजनाओं के सम्बन्ध में यूआईजी की परियोजनाओं के समान सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता एवं नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की सहमति से परियोजना में प्रस्तावित कार्यों का कार्यवार पूर्ण करने की कार्य परियोजना तैयार कराकर संयुक्त हस्ताक्षरोपरान्त 30.05.2012 तक निदेशालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

- अवगत कराया गया कि विभिन्न परियोजनाओं में कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही है। निर्देश दिये गये कि कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय और शासन स्तर पर विभिन्न माध्यमों से जाँचे करायी जायेगीं तथा गुणवत्ता में कमी पाये जाने के फलस्वरूप उत्तदायित्व का निर्धारण करते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

- अवगत कराया गया कि बलिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना के उपयोगिता प्रमाण पत्र पर कतिपय आपत्तियों का निराकरण न हो पाने के कारण कार्यवाही नहीं हो पा रही है तथा जौनपुर एवं गोरखपुर में भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् भी उपयोगिता प्रमाण पत्र कई माह से लम्बित है। इसी क्रम में लोनी, फिरोजाबाद एवं बस्ती में भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण कार्यवाही लम्बित है जिस पर शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

- कुछ अन्य नगरों में भी संलग्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में स्थिति से अवगत कराया गया जिस पर शीर्ष प्राथमिकता पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। (संलग्नक – 'क' एवं 'ख')

मा0मंत्रीजी नगर विकास विभाग द्वारा उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए अधिकारियों को सौपे गये दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ करने का आह्वाहन किया गया। मा0 मंत्रीजी द्वारा आगाह किया गया कि बेहतर होगा कि समय रहते ही काम करने के तरीकों मे सुधार लाया जाये अन्यथा भ्रष्ट आचरण रखने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा। सचेत किया गया कि कार्यो में शिथिलता और गुणवत्ता में कमी तथा सरकारी धन का दुरूपयोग करने वाले अधिकारियों को चिन्हित किया जायेगा इसलिए वे अपनी हरकतों में सुधार लाए अन्यथा कठोर कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही मा0 मंत्रीजी द्वारा मेहनत–ईमानदारी से कार्य करने वालो को सम्मानित किये जाने की बात कही। मा0 मंत्रीजी द्वारा शहरी सड़कों की खराब स्थिति तथा बढ़ते अतिक्रमण तथा व्याप्त गंदगी का उल्लेख करते हुए शहरों को सुन्दर बनाने के लिए अभियान चलाये जाने तथा फुटपाथ और डिवाइडर पर फूल पौधे लगाये जाने की बात कही गयी, साथ ही वहॉ खाली पड़ी भूमि पर घास लगवाये जाने के निर्देश दिये। मा0 मंत्री द्वारा शहर में हुए अतिक्रमण को बिना भेदभाव बरते उसे हटाने तथा नवीन अतिक्रमण न होने पाये इसके लिए नियमित रूप से प्रभावी कार्यवाई अमल में लाये जाने के निर्देश दिये गये। इसी क्रम में मा0 मंत्रीजी ने नगर निगम, लखनऊ द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने से संबंधित कार्यवाही की सराहना की गयी।

मा0 मंत्रीजी द्वारा सफाई कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की बात कही गयी तथा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की खराब गुणवत्ता की शिकायतें निरन्तर प्राप्त हो रही है, जिसके लिये सचेत किया गया कि कार्य, तथा कार्य में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाई अमल में लायी जाएगी।

यह भी निर्देश दिये गये कि जिन दुकानदारों द्वारा दुकानों के आगे काउण्टर आदि लगा दिये जाते है अथवा दुकान का सामान बाहर रख दिया जाता है, जिससे लोगो के आवागमन में कठिनाई होती है, उसे तत्काल हटाया जाये और आवश्यक चालान किया जाये, यदि दुबारा भी दुकानदार काउण्टर लगाता है तो दूसरे दिन से निरन्तर उसके विरूद्ध चालान की कार्यवाही अमल में लायी जाये, जिससे उसकी पुनरावृति पर रोकथाम लग सके।

मा0 मंत्रीजी द्वारा अपने दौरों का जिक्र करते हुए अवगत कराया गया कि अधिकारीगण यह सुनिश्चित कर लें कि शहरों में सड़कों पर जो छोटे–छोटे गडढे अथवा पैच है, उन्हें प्राथमिकता से ठीक करा दिया जाय ताकि सड़के चलने योग्य रहें। मा0 मंत्रीजी द्वारा आगरा में स्टेशन के पास गन्दगी के तहत स्टेशन से जाने वाली सभी सड़कों पर सफाई कराये जाने के

निर्देश दिये। मा0 मंत्रीजी द्वारा शीघ्र ही आगरा का दौरा किये जाने की भी बात कही गयी। मा0 मंत्री जी द्वारा उपस्थित अधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी कि सभी अधिकारी मेहनत, ईमानदारी एवं लगन से कार्य करें जिससे आम जनता बदलाव महसूस कर सके ।

(**कार्यवाही** : समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0 / अधि0अधि0न0पा0प0)

बैठक उपुर्यक्तानुसार विचार–विमर्श एवं निर्णयोपरान्त सधन्यवाद समाप्त हुई ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(**प्रवीर कुमार**)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–1836/ नौ–5–2012–12सा / 2012
लखनऊ :: दिनांक : 11 जून, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
2– निजी सचिव, प्रमुख सचिव / विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, स्थानीय निकाय / एसएलएनए, उ0प्र0 लखनऊ।
4– समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
6– निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7– समस्त महाप्रबन्धक, (जलकल विभाग), नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
8– जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी एवं यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श की परियोजनाओं से संबंधित समस्त परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम (द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ)
9– यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श से आच्छादित, नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ)
10– टीम लीडर, पीएमयू, स्थानीय निकाय निदेशालय।
11– गार्ड फाईल।

ओम प्रकाश चौधरी
13/6/2012

आज्ञा से,

PMU/826/276(2)/11 13/06/12 (**श्रीप्रकाश सिंह**)
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि समस्त विशेषज्ञ PMU/PIU को आ. का. हेतु प्रेषित।

अग्रवाल 13/6/12
(K. K. Agrawal)
Team Leader P.M.U.
Director, Local Bodies, U.P. (SLNA)

यूआईजी कार्यक्रम की योजनाओं में भूमि से सम्बन्धित प्रकरण

संलग्नक–"क"

भूमि व्यवस्था / विवाद

1.	लखनऊ पेयजल योजना भाग–1 • उच्च जलाशय नलकूप	नेहरू पार्क अम्बेडकरनगर	जुलाई में एक नलकूप छिद्रण कार्य पूर्ण मा0 न्यायालय से स्थगन प्राप्त।
	• उच्च जलाशय	संजय गाँधीपुरम	मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश।
2.	वाराणसी पेयजल योजना फेज–1, प्रापर्टी–1		
	• उच्च जलाशय • भूमिगत जलाशय – 27 नग		1 उच्च जलाशय की भूमि उपलब्ध नही। 18 भूमिगत जलाशयों पर कार्य प्रगति पर, 9 भूमिगत जलाशयों की भूमि की कार्यवाही प्रगति पर।
3.	वाराणसी ट्रांस वरूणा सीवरेज योजना		
	एस0टी0पी0		भूमि चिन्हित अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर धन उपलब्ध है, भू–स्वामियों की आपत्ति के कारण कार्य अवरूद्ध।
4.	वाराणसी ट्रांस वरूणा पेयजल योजना–		वाटर ट्रीट मैन्ट प्लान्ट की भूमि पर कार्य करने में आपत्ति की जा रही है, जिसके कारण कार्य नही प्रारम्भ हो पा रहा है।
	• उच्च जलाशय – 26 नग		18 उच्च जलाशयों पर कार्य प्रगति पर, 8 उच्च जलाशयों की भूमि अप्राप्त।
5.	कानपुर पेयजल पार्ट–। (इनर ओल्ड एरिया)		
	• जोनल पम्पिंग स्टेशन – 38 नग • उच्च जलाशय – 14 नग		1– हसाय कालेज के पास भूमि उपलब्ध कार्य प्रारम्भ होना है। 2– नाजिद खाँ पार्क (पब्लिक की आपत्ति) 3– पार्वती वागला पार्क (जी0एम0, जलकल की आपत्ति) 4– फजलगंज पार्क (KESA के केबिल्स के कारण कार्य करने में कठिनाई) 2 उच्च जलाशयों पर कार्य प्रारम्भ नही।
6.	कानपुर पेयजल पार्ट–।। सी0डब्लू0आर0 उच्च जलाशय		1– तकिया पार्क उपलब्ध। 2– गांधी पार्क में पब्लिक की आपत्ति। 4 नग ओ0एच0टी0 भूमि उपलब्ध नही (i) उस्मानपुर स्थगित. (ii) रविदासपुर में के0डी0ए0 का ओ0एच0टी0 प्रयोग में लाया जायेगा। (iii) हजेन्दरनगर में पब्लिक आपत्ति। (iv) वर्रा ओ0एच0टी0 & सी0डब्लू0आर0 भूमि उपलब्ध नही।

संलग्नक–"ख"

यूआईडीएसएसएमटी कार्याशं – भूमि विवाद		
1	फिरोजाबाद सीवरेज	STP हेतु भूमि चिन्हित, ब्याज रहित ऋण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित
2	फैजाबाद पेयजल	दो TW निर्मित हैं लेकिन चालू नही हो पा रहे हैं, भूमि स्वामित्व के विवाद में एक पर लोअर कोर्ट एवं दूसरे पर हाई कोर्ट से स्थगन आदेश ।
3	हापुड पेयजल	जोन 10ए में एक भूमिगत जलाशय की भूमि विवादित, हाई कोर्ट इलाहाबाद में वाद लम्बित
4	मुजफ्फरनगर पेयजल	शासन एवं निदेशालय स्तर से निदेशित किये जाने के उपरान्त भी अभी तक एक उच्च जलाशय, एक भूमिगत जलाशय एवं एक नलकूप की भूमि नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है
5	आजमगढ पेयजल	बाजबहादुर जोन में जिला प्रशासन के आदेश पर अधिशासी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि विवादित। इस स्थान पर लगभग रू. 32 लाख की लागत के दो नलकूप, एक उच्च जलाशय का 10 प्रतिशत कार्य एवं बाउन्ड्री वाल का 80 प्रतिशत कार्य कराया जा चुका है । वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण कार्य रूका हुआ है । अगली तिथि 7 जुलाई को है ।
6	देवरिया पेयजल	गायत्री मन्दिर स्थल पर उच्च जलाशय की विवादित भूमि के स्थान पर पशु चिकित्सालय में भूमि मिली पर पशु चिकित्सा अधिकारी कार्य नही करने दे रहे
7	बलिया सीवरेज	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु चयनित भूमि पर विवाद
8	मऊ पेयजल	पाईप लाइन बिछाने हेतु रेलवे क्रासिंग की अनुमति अपेक्षित
सालिड वेस्ट मेनेजमेन्ट योजनायें		
1	बस्ती	भूमि अनउपलब्ध
2	लोनी	भूमि अनउपलब्ध
3	फिरोजाबाद	भूमि चिन्हित, ब्याज रहित ऋण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित